उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

संदर्भ संख्या– /C-4/ SA-II-699 /2024

दिनांक– 12-1-24

To, H05586

The Registrar General,
Hon'ble National Green Tribunal,
New Delhi.

Sub:- Response on behalf of U.P. Pollution Control Board in the matter of M.A. No. 107/2023 in O.A. No. 162/2020 Vibhor Mittal Vs M/s Unnati Construction Pvt. Ltd. & Anr. dated 30.10.2023 passed by Hon'ble NGT.

Respected Sir,

Please find herewith the response in compliance with Hon'ble NGT order dated 30.10.2023 in the matter of M.A. No. 107/2023 in O.A. No.- 162/2020 Vibhor Mittal Vs M/s Unnati Construction Pvt. Ltd. & Anr. for perusal and consideration.

Yours Sincerely,

Encl: As above.

Chief Environmental Officer,
(Circle-4)

-टी.सी.–12वी, विभूति खण्ड,
गोमती नगर, लखनऊ–226010
ई–मेल–info@uppcb.com
वेबसाइट–www.uppcb.com

TC- 12V Vibhuti Khand,
Gomti Nagar, Lucknow-226010
e-mail: info@uppcb.com
Web Site: www.uppcb.com

Response on behalf of U.P. Pollution Control Board in the matter of M.A. No. 107/2023 in O.A. No.- 162/2020 Vibhor Mittal Vs M/s Unnati Construction Pvt. Ltd. & Anr. dated 30.10.2023 passed by Hon'ble NGT

Hon'ble NGT has passed an order dated 30.10.2023 M.A. No. 107/2023 in O.A. No. 162/2020 Vibhor Mittal Vs M/s Unnati Construction Pvt. Ltd. & Anr. The operative portion of the order is as under:-

".....This Misc. Application has been filed by M/s. Unnati Construction Private Limited raising the grievance that environmental compensation of Rs. 90,06,250/- has been imposed by the UPPCB without issuing any show cause notice and without affording any opportunity of hearing.

2. *The submission of Counsel for the Applicant is that the order dated 17.05.2021 has been passed by the UPPCB following the directions of the Tribunal passed O.A. 162/2020 dated 29.01.2021 and at the time of issuing directions, Applicant was not heard.*
3. *Learned Counsel for the Applicant submits that order dated 17.05.2021 was initially challenged before the High Court at Allahabad in Writ Petition(C) No. 17324/2023. The High Court of Allahabad by order dated 11.07.2023 had permitted the Applicant to withdraw the writ petition with liberty to approach the Tribunal.*
4. *Issue notice to the Chief Environment Officer, Circle-4, UPPCB.*
5. *The Applicant is directed to serve the aforesaid authority and file affidavit of service before the next date of hearing.*
6. *List the matter on 15.01.2024."*

In compliance of the Hon'ble NGT direction, report on behalf of U.P. Pollution Control Board is as follows;

1- A complaint against M/s Unnati Construction Pvt., Swarna Jayanti Nagar, Aligarh was received from Shri Vibhor Mittal, 201-A, Central Park, Ramasudha Apartment, Swarna Jayanti Nagar, District Aligarh on 10.04.2019 in Regional Office, U.P. Pollution Control Board, Aligarh regarding underground disposal of sewage. The copy of the complaint received is enclosed as **Annexure-I**

2- The site of M/s Unnati Construction Pvt. Ltd., Swarn Jayanti Nagar, Aligarh was inspected on 23.04.2019 by the official of Regional Office, U.P. Pollution Control Board, Aligarh. During inspection it was found that the said apartment was constructed without obtaining CTE from U.P. Pollution Control Board and no STP was installed for the treatment of the domestic sewage generating from the apartments. The sewage generated from the apartment was found accumulated in the nearby area. The sample of same was collected and as per the analysis report various parameters were found more than the prescribed standards. The notice was issued by the Regional Office, U.P. Pollution

Control Board, Aligarh vide letter dt. 28.08.2019. The copy of the notice is enclosed herewith as **Annexure-II**

3- The site of M/s Unnati Construction Pvt. Ltd., Swarn Jayanti Nagar, Aligarh was again inspected on 01.09.2020 and during inspection it was found that the overflow from the septic tank and soak pit was being discharged through pump outside the boundary wall in the drain and was accumulating there. A sample of the accumulated sewage was collected and tested in the Regional Office, Laboratory, U.P. Pollution Control Board, Aligarh and as per the analysis report various parameters were found more than the prescribed standards. A notice to M/s Unnati Construction Pvt. Ltd., Swarn Jayanti Nagar, Aligarh was issued by Chief Environmental Officer, Circle-4, U.P. Pollution Control Board, Lucknow vide letter dated 20.10.2020. The copy of the notice is enclosed as **Annexure-III**

4- The show cause notice regarding imposition of Environmental Compensation of Rs. 10,37,500/- for 166 days violation at the rate of Rs. 6,250 per day was issued vide letter no. H54875/C-4/SA-II-193/SCN/2020 dated 11.11.2020 under section 31A of Water (Prevention and Control of Pollution) Act, 1974 as amended. The copy of the show cause notice is enclosed as **Annexure-IV**

5- Hon'ble NGT has passed an order dated 29.01.2021 in O.A. No. 162/2020 Vibhor Mittal Applicant Versus M/s Unnati Construction Pvt. Ltd. & Anr. The operative portion of the order is as below:--

".....3. We have heard learned Counsel for the PCB and also the project proponent. The project in question is clearly non-compliant with the environment law as well as norms for clean environment but the action taken by the State PCB is not adequate, even after the illegalities were noticed first on 10.04.2019, almost two years ago. No meaningful and tangible action has so far been taken for enforcing the law, even for undisputed illegalities."

6- In compliance with the above mentioned order, State Pollution Control Board vide letter no. H61838/C-4/SA-II-699/2021 dated 17.05.2021 has assessed and imposed revised Environmental Compensation of Rs. 90,06,250/- at the rate of Rs. 6,250 per day for 1441 days violation from 20.03.2017 to 28.02.2021. The copy of the letter dated 17.05.2021 is enclosed as **Annexure-V**

The above response is being submitted for perusal and consideration.

12.1.24

(A.K. Anand)
Environmental Engineer
(Circle-4)

12/1/24

(Pradeep Sharma)
Chief Environmental Officer,
(Circle-4)

Annexure-I

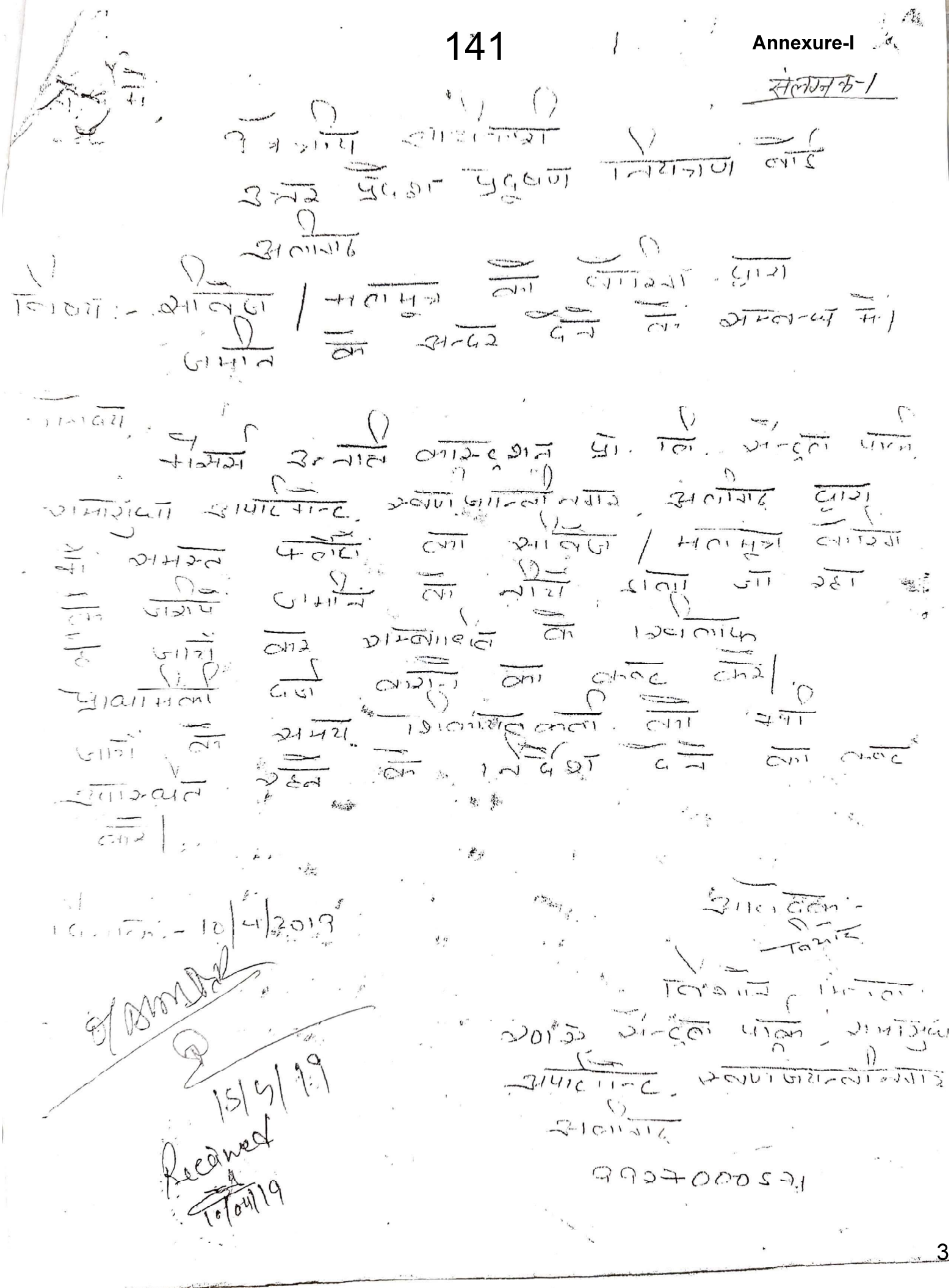

Annexure-II

क्षेत्रीय कार्यालय एवं प्रयोगशाला
उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, अलीगढ़

संलग्नक-3

REGIONAL OFFICE & LABORATORY
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD, ALIGARH

पत्रांक 1661/नोटिस/2019 दिनांक: 22.08.19

सेवा में,

मै0 उन्नति कंस्ट्रक्शन प्रा.लि.,
(सेन्ट्रल पार्क), रामा सुधा अपार्टमेन्ट,
स्वर्ण जयन्ती नगर,
जनपद–अलीगढ़।

विषय :–जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1974 (यथासंशोधित) के प्राविधानों के अनुपालन के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। आपके प्रतिष्ठान के विरूद्ध प्राप्त शिकायत के अनुक्रम में इस कार्यालय द्वारा दिनांक 16.08.2019 को आपके प्रतिष्ठान का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के समय प्रतिष्ठान में मल–जल के निस्तारण हेतु बनाये गये सैप्टिक टैंक के ओवर फ्लो से निस्तारित घरेलू उत्प्रवाह प्रतिष्ठान के परिसर के बाहर निचली भूमि में एकत्रित हो रहा है। एकत्रित हो रहे मल–जल से भूमिगत जल के कुप्रभावित होने की प्रबल संभावना बनी हुयी है। निरीक्षण के दिनांक को परिसर के बाहर एकत्रित मल–जल का नमूना एकत्रित कर क्षेत्रीय प्रयोगशाला में विश्लेषित कराया गया। विश्लेषण आख्या के अनुसार सस्पेण्डेट सॉलिड 100 मि.ग्रा./लीटर के सापेंक्ष 126 मि.ग्रा./ लीटर, बी.ओ.डी. 30 मि.ग्रा./लीटर के सापेक्ष 60 मि.ग्रा./लीटर तथा सी.ओ.डी. 250 मि.ग्रा./लीटर के सापेक्ष 288 मि.ग्रा./लीटर पायी गयी, जोकि बोर्ड द्वारा निर्धारित मानकों के अनुरूप नहीं है।

अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि प्रतिष्ठान से जनित मल–जल के शुद्धिकरण हेतु सीवेज ट्रीटमेन्ट प्लाण्ट की स्थापना यथाशीघ्र किया जाना सुनिश्चित करें। अन्यथा आपके प्रतिष्ठान के विरूद्ध जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1974 यथाशोधित के प्राविधानों के अन्तर्गत बोर्ड मुख्यालय के सक्षम अधिकारी को विधिक कार्यवाही किये जाने की संस्तुति कर दी जायेगी, जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व प्रतिष्ठान का स्वयं का होगा।

भवदीय

क्षेत्रीय अधिकारी (प्रभारी)

प्रतिलिपि:– मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त–4) उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ को सूचनार्थ सादर प्रेषित।

क्षेत्रीय अधिकारी (प्रभारी)

कार्यालय पता : जे–1, ज्ञान सरोवर कॉलोनी, रामघाट रोड,अलीगढ़–202001Phone & Fax : 0571 2743521
Office Address : J-1, Gyan Sarover Colony, Ramghat Road, Aligarh -202001 E-mail : roaligarh@uppcb.com

Annexure-III

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

दिनांक– 20-10-2020

संदर्भ संख्या- H54095 /सी–4/सा–।।/699/2020

सेवा में,

मेसर्स उन्नति कन्स्ट्रक्शन प्रा0 लि0,
सेन्ट्रल पार्क, रामा सुधा अपार्टमेन्ट, स्वर्ण जयन्ती नगर,
जिला–अलीगढ़।

विषय– जल (प्रदूषण निवारण तथा नियन्त्रण) अधिनियम, 1974 में वर्णित प्राविधानों के अनुपालन न किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक श्री विभोर मित्तल, अलीगढ़ द्वारा मा0 एन0जी0टी0 में आपके अपार्टमेन्ट से हो रहे जल प्रदूषण के परिपेक्ष्य में की गई शिकायत पर ओ0सं0–162/2020 में मा0 एन0जी0टी0, नई दिल्ली द्वारा पारित आदेश दिनांक 14.08.2020 के अनुपालनार्थ क्षेत्रीय कार्यालय, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, अलीगढ़ के अधिकारियों द्वारा आपके प्रतिनिधि श्री वी0के0 पाठक (प्रबन्धक) की उपस्थिति में दिनांक 01.09.2020 को किया गया। प्राप्त निरीक्षण आख्यानुसार आपके परिसर से निस्तारित प्रदूषित घरेलू जल–मल आस–पास के पर्यावरण एवं जनमानस पर प्रतिकूल प्रभाव डाल रहा है, जिसकी पुष्टि दिनांक 01.09.2020 को एकत्रित नमूने की विश्लेषण आख्या से होती है।

इसी अनुक्रम में पूर्व में भी आपके अपार्टमेन्ट का निरीक्षण (प्राप्त शिकायत के आधार पर) क्षेत्रीय कार्यालय, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, अलीगढ़ द्वारा दिनांक 20.03.2020 को भी किया था, जिसमें सेप्टिक टैंक से निस्तारित घरेलू जल–मल निर्धारित मानकों के अनुरुप नहीं पाया गया है, जिसका विवरण निम्नवत् है–

1– कुल निलम्बित ठोस–128.0 मिली ग्रा0/ली0 (निर्धारित मानक 100.0 मिली ग्रा0/ली0)
2– बी0ओ0डी0– 62.0 मिली ग्रा0/ली0 (निर्धारित मानक 30.0 मिली ग्रा0/ली0)
3– सी0ओ0डी0–288.0 मिली ग्रा0/ली0 (निर्धारित मानक 250.0 मिली ग्रा0/ली0)

उपरोक्त से स्पष्ट है कि आप द्वारा राज्य बोर्ड के निर्देशों के बावजूद जनित दूषित घरेलू जल–मल को निर्धारित मानकों के अनुरुप शोधित करने हेतु व्यवस्था नहीं की जा सकी है, जो जल (प्रदूषण निवारण तथा नियन्त्रण) अधिनियम, 1974 के वर्णित प्राविधानों का उल्लंघन तथा एक दण्डनीय अपराध है।

अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि उपरोक्त पर अपनी आख्या एवं मानकों के अनुरुप जल प्रदूषण नियंत्रण हेतु समयबद्ध प्रस्ताव पत्र प्राप्ति के 01 सप्ताह के अन्दर प्रेषित करना सुनिश्चित करें अन्यथा उपरोक्त उल्लंघन को संज्ञान में लेते हुए आपके विरुद्ध पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपण की कार्यवाही, जल (प्रदूषण निवारण तथा नियन्त्रण) अधिनियम, 1974 33(ए) में कारण बताओ नोटिस के साथ–साथ अपार्टमेन्ट के मालिकान एवं उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध उक्त अधिनियम की धारा 43/44 के अंतर्गत सक्षम न्यायालय में परिवाद दायर करने की कार्यवाही की जा सकती है, जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व आपका होगा।

भवदीय,

(आर0के0 सिंह)
मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त–4

प्रतिलिपि–क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, अलीगढ़ को इस निर्देश के साथ कि उल्लंघन दिवसों की गणना कर केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी गाइड लाइन दिनांक 08.02.2019 के अंतर्गत पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपण का प्रस्ताव पत्र प्राप्ति के 01 सप्ताह में प्रेषित करें।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त–4

टी.सी 12 वीं, विभूति खण्ड,
गोमती नगर, लखनऊ–226010
ई–मेल–info@uppcb.com
वेबसाइट–www.uppcb.com

T.C. 12V Vibhuti Khand,
Gomti Nagar, Lucknow-226010
e-mail: info@uppcb.com
Web Site: www.uppcb.com

Annexure-IV

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

पंजीकृत

संदर्भ संख्या : 4254875 .... दिनांक 17/11/2020

सी–4 / सा–II–193 / का0ब0नो0 / 2020

मै0 उन्नति कन्सट्रक्शन प्रा0लि0,
सेन्ट्रल पार्क, रामासुधा अपार्टमेंट, स्वर्ण जयन्ती नगर,
अलीगढ़।

मै0 उन्नति कन्सट्रक्शन प्रा0लि0, सेन्ट्रल पार्क, रामासुधा अपार्टमेंट, स्वर्ण जयन्ती नगर, अलीगढ़ जिसमें लगभग 50 फ्लैट में लोग रह रहे हैं, 61 फ्लैट का अपार्टमेन्ट उपरोक्त वर्णित स्थल पर कार्यरत है जो कि जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 यथासंशोधित की धारा–47 के अन्तर्गत एक कम्पनी है।

यह कि मै0 उन्नति कन्सट्रक्शन प्रा0लि0, सेन्ट्रल पार्क, रामासुधा अपार्टमेंट, स्वर्ण जयन्ती नगर, अलीगढ़ के विरूद्ध पूर्व प्राप्त शिकायत पर जांचोपरान्त क्षेत्रीय अधिकारी, अलीगढ़ द्वारा पत्र सं0 593 / नोटिस / 2019 दिनांक 04–05–2019 के माध्यम से जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 के अनुपालन में नोटिस प्रेषित किया गया था किन्तु मै0 उन्नति कन्सट्रक्शन प्रा0लि0, सेन्ट्रल पार्क, रामासुधा अपार्टमेंट, स्वर्ण जयन्ती नगर, अलीगढ़ द्वारा अनुपालन नही किया गया।

यह कि क्षेत्रीय कार्यालय, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, अलीगढ़ में मै0 उन्नति कन्सट्रक्शन प्रा0लि0, सेन्ट्रल पार्क, रामासुधा अपार्टमेंट, स्वर्ण जयन्ती नगर, अलीगढ़ के विरूद्ध प्राप्त शिकायत एवं मा0 एन0जी0टी0, नई दिल्ली में विचाराधीन ओ0ए0 सं0 162 / 2020 दिनांक 14.08.2020 विभोर मित्तल बनाम् उन्नति कन्स्ट्रक्श्ज़न प्रा0लि0 के संदर्भ में मै0 उन्नति कन्सट्रक्शन प्रा0लि0, सेन्ट्रल पार्क, रामासुधा अपार्टमेंट, स्वर्ण जयन्ती नगर, अलीगढ़ का निरीक्षण बोर्ड के क्षेत्रीय कार्यालय, अलीगढ़ के अधिकारियों द्वारा दिनांक 01.09.2020 को श्री वी0के0 पाठक, मैनेजर (मै0 उन्नति कान्सट्रक्शन) की उपस्थिति में किया गया।

यह कि मै0 उन्नति कन्सट्रक्शन प्रा0लि0, सेन्ट्रल पार्क, रामासुधा अपार्टमेंट, स्वर्ण जयन्ती नगर, अलीगढ़ के उक्त अपार्टमेंट में 61 फ्लैट हैं, जिनमें रहने वाले व्यक्तियों से जनित जलमल के शोधन हेतु उचित व्यवस्था स्थापित नही की गयी है। दिनांक 01.09.2020 को किये गये निरीक्षण में पाया गया कि अपार्टमेंट से जनित घरेलू मलजल को पहले जमीन के अन्दर बने टैंक में एकत्रित किया जाता है तथा टैंक भरने पर पम्प के माध्यम से दूषित घरेलू उत्प्रवाह को अपार्टमेंट की बाउण्ड्री के बाहर नाली में निस्तारित किया जाता है। निरीक्षण के समय नाली में अन्य आवासीय कालोनी का पानी मिलकर अपार्टमेन्ट के बगल में स्थित लो लैण्ड में एकत्रित होता हुआ पाया गया।

यह कि अपार्टमेंट से जनित दूषित जलमल के एकत्रण हेतु अपार्टमेंट परिसर के अन्दर स्थित टैंक में एकत्रित प्रदूषित जलमल का नमूना दिनांक 01.09.2020 को एकत्रित कर क्षेत्रीय कार्यालय, अलीगढ़ की प्रयोगशाला में विश्लेषित कराया गया जिसमें प्राचलक बी0ओ0डी0– 76 मि0ग्रा0 / ली, सी0ओ0डी0– 208 मि0ग्रा0 / ली0 एवं सस्पेन्डेड सालिड– 140 मि0ग्रा0 / ली0 पायी गयी जो निर्धारित मानकों से अधिक है। उक्त प्रदूषित प्राचलकों का सीवेज परिसर के बाहर समय समय पर निस्तारित किया जाता रहता है जिससे आस–पास के पर्यावरण एवं जनमानस के स्वास्थ्य का प्रतिकूल प्रभाव पड़ने से नकारा नहीं जा सकता है।

यह कि मै0 उन्नति कन्सट्रक्शन प्रा0लि0, सेन्ट्रल पार्क, रामासुधा अपार्टमेंट, स्वर्ण जयन्ती नगर, अलीगढ़ के विरूद्ध पूर्व प्राप्त शिकायत पर राज्य बोर्ड के क्षेत्रीय कार्यालय, अलीगढ़ के अधिकारियों द्वारा दिनांक 20.03.2020 को निरीक्षण किया गया था। दिनांक 20.03.2020 को भी मै0 उन्नति कन्सट्रक्शन प्रा0लि0, सेन्ट्रल पार्क, रामासुधा अपार्टमेंट, स्वर्ण जयन्ती नगर, अलीगढ़ के परिसर से बाहर निस्तारित घरेलू जलमल के एकत्रित नमूनों में बी0ओ0डी0– 62 मि0ग्रा0 / ली0, सी0ओ0डी0–288 मि0ग्रा0 / ली0 एवं सस्पेन्डेड सालिड– 140 मि0ग्रा0 / ली0 पाया गया था।

यह कि मै0 उन्नति कन्सट्रक्शन प्रा0लि0, सेन्ट्रल पार्क, रामासुधा अपार्टमेंट, स्वर्ण जयन्ती नगर, अलीगढ़ द्वारा अपार्टमेंट के निर्माण करने से पूर्व जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनिमय, 1974 के अंतर्गत राज्य बोर्ड से अनापत्ति प्रमाण पत्र एवं संचालन हेतु सहमति जल / वायु प्राप्त नहीं की गयी है, जो कि जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 यथासंशोधित में वर्णित प्राविधानों का उल्लंघन है तथा एक दण्डनीय अपराध है।

टी.सी 12 वीं, विभूति खण्ड,
गोमती नगर, लखनऊ–226010
ई–मेल–info@uppcb.com
वेबसाइट–www.uppcb.com

TC. 12 Vibhuti Khand,
Gomti Nagar, Lucknow-226010
e-mail: info@uppcb.com
Web Site: www.uppcb.com

यह कि इकाई को राज्य बोर्ड के पत्र सं0 एच–54095/सी–4/सा–।।–699/2020 दिनांक 20.10.2020 द्वारा अपना पक्ष प्रस्तुत करने हेतु अवसर प्रदान किया गया था, जिसके अनुपालन में इकाई द्वारा कोई जवाब नही दिया गया।

यह कि क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, अलीगढ़ द्वारा प्रेषित पत्रांक 937/आजी–224/2020 दिनांक 17.09.2020 में मैसर्स उन्नति कन्सट्रक्शन प्रा0लि0, सेन्ट्रल पार्क, रामासुधा अपार्टमेंट, स्वर्ण जयन्ती नगर, अलीगढ़ के विरूद्ध जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनिमय, 1974 यथासंशोधित की धारा–33ए के अंतर्गत विधिक कार्यवाही एवं 1566/ओजी–224/2020 दिनांक 29.10.2020 में पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने की संस्तुति की गयी है।

अतः क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, अलीगढ़ की संस्तुति दिनांक 17.09.2020 एवं 29.10.2020 के आधार पर बिना राज्य बोर्ड से सहमति प्राप्त किये अपार्टमेंट का निर्माण/संचालन कर परिसर से बाहर प्रदूषित सीवेज निस्तारित करने के कारण मैसर्स उन्नति कन्सट्रक्शन प्रा0लि0, सेन्ट्रल पार्क, रामासुधा अपार्टमेंट, स्वर्ण जयन्ती नगर, अलीगढ़ के विरूद्ध जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 यथासंशोधित की धारा – 33ए के अंतर्गत के अन्तर्गत निम्नलिखित कारण बताओ नोटिस जारी किया जाता है :–

1. यह कि क्यों न मै0 उन्नति कन्सट्रक्शन प्रा0लि0, सेन्ट्रल पार्क, रामासुधा अपार्टमेंट, स्वर्ण जयन्ती नगर, अलीगढ़ द्वारा बिना राज्य बोर्ड से सहमति प्राप्त किये अपार्टमेंट का निर्माण/संचालन कर लिये जाने के कारण सन्दर्भित अपार्टमेंट के विरूद्ध बन्दी आदेश जारी कर कम्पनी के उत्तरदायी व्यक्तियों के विरूद्ध सक्षम न्यायालय में परिवाद दायर कर दिया जाये।
2. यह कि क्यों न सक्षम अधिकारियों से यह अपेक्षा की जाये कि वे आपके अपार्टमेंट को मिलने वाली विद्युत एवं पानी की आपूर्ति को तत्काल प्रभाव से विच्छेदित करते हुए अपार्टमेंट को दी जाने वाली अन्य सुविधाओं को तत्काल प्रभाव से बन्द कर दें।

उपरोक्त के अतिरिक्त क्यों न मै0 उन्नति कन्सट्रक्शन प्रा0लि0, सेन्ट्रल पार्क, रामासुधा अपार्टमेंट, स्वर्ण जयन्ती नगर, अलीगढ़ द्वारा जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 यथासंशोधित की धारा–25/26 का किये गये उल्लंघन पर केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की गाइड लाइन के अनुसार रू0 6250/– प्रति उल्लंघन प्रतिदिन के आधार पर 166 दिनों के उल्लंघन हेतु कुल रू0 10,37,500/– की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित कर दिया जाये।

उपरोक्त के सम्बन्ध में स्पष्टीकरण/आख्या पत्र प्राप्ति के 15 दिन के अन्दर मुख्यालय, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ को प्रेषित करें। निर्धारित अवधि में सन्तोषजनक उत्तर प्राप्त न होने की दशा में उक्त वर्णित निर्देशों की पुष्टि कर दी जायेगी जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व मै0 उन्नति कन्सट्रक्शन प्रा0लि0, सेन्ट्रल पार्क, रामासुधा अपार्टमेंट, स्वर्ण जयन्ती नगर, अलीगढ़ के जिम्मेदार प्राधिकारियों का होगा।।

सक्षम अधिकारी की अनुमति से।

(आर0के0 सिंह)
मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त–4

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. जिलाधिकारी, अलीगढ़।
2. सचिव, अलीगढ़ विकास प्राधिकरण, अलीगढ़।
3. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0 प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, अलीगढ़ को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उपरोक्तानुसार निर्गत कारण बताओ नोटिस के सम्बन्ध में निरीक्षण आख्या बोर्ड को नियत अवधि में प्रेषित किया जाना सुनिश्चित करें।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त–4

11/11/20

11/11/20

Annexure-V

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

पंजीकृत

संदर्भ संख्या : H&8338 दिनांक 17-5-21

सी–4/सा–II–699/2021

मै0 उन्नति कान्सट्रक्शन प्रा0लि0,
सेन्ट्रल पार्क, रामासुधा अपार्टमेंट, स्वर्ण जयन्ती नगर,
अलीगढ़।

मै0 उन्नति कान्सट्रक्शन प्रा0लि0, सेन्ट्रल पार्क, रामासुधा अपार्टमेंट, स्वर्ण जयन्ती नगर, अलीगढ़ जिसमें लगभग 50 फ्लैट में लोग रह रहे हैं, 61 फ्लैट का अपार्टमेन्ट उपरोक्त वर्णित स्थल पर कार्यरत है जो कि जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 यथासंशोधित की धारा–47 के अन्तर्गत एक कम्पनी है।

यह कि मै0 उन्नति कान्सट्रक्शन प्रा0लि0, सेन्ट्रल पार्क, रामासुधा अपार्टमेंट, स्वर्ण जयन्ती नगर, अलीगढ़ के विरूद्ध पूर्व प्राप्त शिकायत एवं मा0 एन0जी0टी0, नई दिल्ली में विचाराधीन ओ0ए0 सं0 162/2020 दिनांक 14.08.2020 विभोर मित्तल बनाम् उन्नति कान्सट्रक्शन प्रा0लि0 के संदर्भ में मै0 उन्नति कन्सट्रक्शन प्रा0लि0, सेन्ट्रल पार्क, रामासुधा अपार्टमेंट, स्वर्ण जयन्ती नगर, अलीगढ़ का निरीक्षण बोर्ड के क्षेत्रीय कार्यालय, अलीगढ़ के अधिकारियों द्वारा दिनांक 01.09.2020 को किये जाने एवं निरीक्षण के दौरान अपार्टमेंट में रहने वाले रहने वाले व्यक्तियों से जनित जलमल के शोधन हेतु उचित व्यवस्था स्थापित नही के कारण क्षेत्रीय कार्यालय, अलीगढ़ के पत्रांक 937/आजी–224/2020 दिनांक 17.09.2020 के माध्यम से बोर्ड मुख्यालय, लखनऊ में प्राप्त आख्या/संस्तुति के अनुक्रम में उन्नति कान्सट्रक्शन प्रा0लि0, सेन्ट्रल पार्क, रामासुधा अपार्टमेंट, स्वर्ण जयन्ती नगर, अलीगढ़ के विरूद्ध मुख्यालय के पत्रांक एच–54875/सा–II–193/का0ब0नो0/ 2020 दिनांक 11.11.20 द्वारा कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था।

यह कि क्षेत्रीय कार्यालय, अलीगढ़ द्वारा प्रेषित पत्रांक 2694/एवी–575/ई.सी.22021 दिनांक 15.03.2021 में क्षेत्रीय अधिकारी द्वारा अवगत कराया गया है कि मै0 उन्नति कन्सट्रक्शन प्रा0लि0 द्वारा एस0टी0पी0 की स्थापना कर ली गयी है, परन्तु राज्य बोर्ड से जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 यथासंशोधित की धारा–25/26 एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 यथासंशोधित की धारा–21/22 के अंतर्गत सहमति जल एवं सहमति वायु प्राप्त नहीं की गयी है, जो कि जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 यथासंशोधित एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 यथासंशोधित में वर्णित प्राविधानो का उल्लंघन है तथा एक दण्डनीय अपराध है।

मा0 एन0जी0टी0 द्वारा ओ0ए0 संख्या 162/2020 में पारित आदेश दिनांक 29.01.2021 में प्रश्नगत अपार्टमेंट के विरूद्ध पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने हेतु निर्देश दिये गये हैं।

यह कि क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, अलीगढ़ द्वारा प्रेषित पत्रांक 2694/एवी–575/ई.सी./2021 दिनांक 15.03.2021 में मैसर्स उन्नति कन्सट्रक्शन प्रा0लि0, सेन्ट्रल पार्क, रामासुधा अपार्टमेंट, स्वर्ण जयन्ती नगर, अलीगढ़ के विरूद्ध दिनांक 20.03.2017 से 28.02.2021 तक कुल 1441 उल्लंघन दिनों हेतु पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति रू0 90,06,250/– अधिरोपित किये जाने की संस्तुति की गयी है। उल्लंघन दिवसों का विवरण निम्नानुसार है :–

20.03.2017	–	31.12.2017	=	287 दिन
01.01.2018	–	31.12.2018	=	365 दिन
01.01.2019	–	31.12.2019	=	365 दिन
01.01.2020	–	31.12.2020	=	365 दिन
01.01.2021	–	28.02.2021	=	59 दिन
	कुल डिफाल्टर दिन		=	1441 दिन

टी.सी 12 वीं, विभूति खण्ड,
गोमती नगर, लखनऊ–226010
ई–मेल–info@uppcb.com
वेबसाइट–www.uppcb.com

TC. 12 Vibhuti Khand,
Gomti Nagar, Lucknow-226010
e-mail: info@uppcb.com
Web Site: www.uppcb.com

अतः क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, अलीगढ़ की संस्तुति दिनांक 15.03.2021 एवं मा0 एन0जी0टी0 द्वारा ओ0ए0 संख्या 162/2020 में पारित आदेश दिनांक 29.01.2021 में प्रश्नगत अपार्टमेंट के विरूद्ध पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने हेतु दिये गये निर्देशों के अनुपालन में बिना राज्य बोर्ड से सहमति प्राप्त किये अपार्टमेंट का निर्माण/संचालन कर परिसर से बाहर प्रदूषित सीवेज निस्तारित करने के कारण मैसर्स उन्नति कन्सट्रक्शन प्रा0लि0, सेन्ट्रल पार्क, रामासुधा अपार्टमेंट, स्वर्ण जयन्ती नगर, अलीगढ़ के विरूद्ध जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 यथासंशोधित की धारा–25/26 का किये गये उल्लंघन पर केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्डकी गाइड लाइन के अनुसार रू0 6250/– प्रति उल्लंघन प्रतिदिन के आधार पर 1441 दिवसों के उल्लंघन हेतु कुल रू0 90,06,250/– (रूपये नब्बे लाख छः हजार दो सौ पचास) मात्र की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित की जाती है।

अतः आपको निर्देश दिये जाते हैं कि मैसर्स उन्नति कन्सट्रक्शन प्रा0लि0, सेन्ट्रल पार्क, रामासुधा अपार्टमेंट, स्वर्ण जयन्ती नगर, अलीगढ़ के विरूद्ध अधिरोपित पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति रू0 रू0 90,06,250/– (रूपये नब्बे लाख छः हजार दो सौ पचास) मात्र की धनराशि को उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के यूनियन बैंक आफ इण्डिया, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ के बैंक खाता सं0–701502010002104 IFSC Code UBINO570150 में 15 दिन के अन्दर जमा कराना सुनिश्चित करें। जमा की गयी धनराशि का साक्ष्य क्षेत्रीय कार्यालय, अलीगढ़ एवं बोर्ड मुख्यालय, लखनऊ को भी प्रेषित करें।

सक्षम अधिकारी की अनुमति से।

(आर0के0 सिंह)
मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त–4

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. जिलाधिकारी, अलीगढ़।
2. सचिव, अलीगढ़ विकास प्राधिकरण, अलीगढ़।
3. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, अलीगढ़ को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि मैसर्स उन्नति कान्सट्रक्शन प्रा0लि0, सेन्ट्रल पार्क, रामासुधा अपार्टमेंट, स्वर्ण जयन्ती नगर, अलीगढ़ से उपरोक्तानुसार पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की धनराशि को बोर्ड के खाते में जमा कराया जाना सुनिश्चित करें तथा इसकी पुष्टि की सूचना बोर्ड मुख्यालय को प्रेषित करें।
4. लेखाधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ को इस आशय से कि क्षतिपूर्ति मद में प्राप्त धनराशि का विवरण वृत्त को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त–4

17/5/21